Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *02 सितम्बर, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **डॉ. रामजीलाल मीना चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) अतिरिक्त चार्ज बी.सी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल राजावतान, जिला दौसा एवं विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) संविदाकर्मी, डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापड़दा, ब्लॉक नांगल राजावतान, जिला दौसा** को परिवादी से **12 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए. सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी बकाया इन्सेंटिव राशि का भुगतान करने की एवज में आरोपी डॉ. रामजीलाल मीना चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) अतिरिक्त चार्ज बी.सी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) संविदाकर्मी, डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापड़दा, ब्लॉक नांगल राजावतान, जिला दौसा के माध्यम से प्रतिमाह 1 हजार रुपये कमीशन के हिसाब से **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी की दौसा इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री नवल किशोर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विजय मीना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) संविदाकर्मी, डागोलाई उप स्वास्थ्य केन्द्र पापड़दा, ब्लॉक नांगल राजावतान, जिला दौसा को परिवादी से **12 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉ. रामजीलाल मीना चिकित्साधिकारी (एम.ओ.आई.सी.) अतिरिक्त चार्ज बी.सी.एम.ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल राजावतान, जिला दौसा को भी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**